तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.60/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस [illegible] की तामिलमें जारी हुए
19.4.2023	पत्रावली आज पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही उपस्थित। प्रतिवादी सोहनलाल पुत्र हकमाराम जी कुम्हार, जाति–कुम्हार, निवासी– लोहारों का गली, बागसीन, तहसील–शिवगंज, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म चारभुजा किराणा स्टोर, मेन चौराहा, बागसीन, तहसील–शिवगंज, जिला– सिरोही उपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा (हाल निलम्बित) द्वारा दिनांक 15.2.2022 को फर्म चारभुजा किराणा स्टोर, मेन चौराहा, बागसीन, तहसील–शिवगंज, जिला– सिरोही में प्रतिवादी सोहनलाल पुत्र हकमाराम जी कुम्हार, जाति– कुम्हार, निवासी– बागसीन, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ सूजी (आनन्द भोग ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-1708 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./523/Act/2022/523 दिनांक 28.2.2022 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण में नियत आज सुनवाई तिथि 19.4.2023 को प्रतिवादी सोहनलाल ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर प्रतिवादी को सुना गया, जिसने अनुरोध किया कि उसका व्यापार छोटा है एवं उसने यह घी (जेसल ब्राण्ड) को दूसरी फर्म से क्रय किया था जिसका बिल गुम गया है। उसने अमानक घी का निर्माण नही किया है। यह उसका प्रथम अपराध है। अतः कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करावे। हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही [illegible] 2022 को फर्म चारभुजा किराणा स्टोर, मेन चौरा[illegible], तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही [illegible] हकमाराम जी कुम्हार, जाति– [illegible], बागसीन, तहसील–शिवगंज, [illegible] पदार्थ घी (जेसल ब्राण्ड) ....लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.08.04 17:09:57 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.60/2023	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	के 4 पैक्ड पाउचेज (प्रत्येक 500 एम.एल.) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए खाद्य पदार्थ घी (जेसल ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1708 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./523/Act/2022/523 दिनांक 28.2.2022 के अनुसार अमानक (sub-standard) पाया गया है, जिसमें खाद्य पदार्थ घी (जेसल ब्राण्ढ) की गुणवत्ता मानक Butyrorefractometer reading at 40 डिग्री सेन्टीग्रेड की मात्रा 40.0 to 43.0 के स्थान पर 43.26 पाई गई है। अन्य गुणवत्ता मानकों में घी (जेसल ब्राण्ड) सही पाया गया है। चूंकि प्रकरण में प्रतिवादी ने उक्त खाद्य पदार्थ घी (जेसल ब्राण्ड) के क्रय का बिल प्रस्तुत नही किया है। इससे, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी सोहनलाल ने अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ घी (जेसल ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत प्रतिवादी सोहनलाल पुत्र हकमाराम जी कुम्हार, निवासी– लौहारों की गली, बागसीन, तहसील–शिवगंज, जिला–सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म चारभुजा किराणा स्टोर, मैन चौराहा, बागसीन, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 1,000/– (अक्षरे रुपये एक हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। प्रतिवादी सोहनलाल को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 24.5.2023 को पेश हो। (के आर खोड़)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.08.04 17:09:57 IST
Reason: SelfAttested